



नीरज मण्डलोई आई.ए.एस

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,

म.प्र. शासन

अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 283

दिनांक 26/4/2012

मनरेगा से संबंधित विभिन्न ऑडिट आपत्तियाँ एवं उनका पालन प्रतिवेदन आडिट साफ्टवेयर में अंकित करने के संबंध में मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2590/वित्त-लेखा/12 भोपाल, दिनांक 7.3.2012 निर्देश जारी किये गये थे ; एवं तदोपरांत इसी तारतम्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता का स्मरण पत्र क्रमांक 3332/वित्त-लेखा/2012 भोपाल दिनांक 27.3.12 द्वारा आपको स्मरण कराया गया था।

चिंता का विषय है कि शासन की प्राथमिकता होने के इस विषय पर पर्याप्त कार्यवाही नहीं हो रही है। आपसे पुनः अनुरोध है कि मनरेगा से संबंधित विभिन्न आडिट आपत्तियाँ शासन के उपर्युक्त पत्र के परिपालन में तत्काल आडिट साफ्टवेयर में अंकित की जाएं। कृपया यह भी ध्यान रखें कि यह साफ्टवेयर Public Domain में है अतः हार्ड कापी एवं साफ्टकापी में कोई अंतर न रहे।

इस कार्य की समीक्षा प्रमुख सचिव द्वारा की जाएगी अतः दिनांक 15.5.2012 तक निर्धारित प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(नीरज मण्डलोई)

श्री

.....

.....

पृ.क्र. 284

भोपाल, दिनांक 26/04/2012

प्रतिलिपि :-

प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन
भोपाल।



आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय भोपाल।